

- महोदय जी,
- 1- प्रस्तुत पार्थना पत्र/वाक पत्र/अपील नियत न्याय शुल्क.....X..... कोर्ट फीस के साथ है!
 - 2- राजप्र दरतावेजों का विवरण नवल जमाबंदी/रासरा मिलान..... कि. निहा.....
 - 3- क्षत्राधिकारिता से संबंधित है!
 - 4- परिशीला अवधि में है, अथवा परिशीला अवधि अदालतन समयधि पार्थना पत्र प्रस्तुत है!
 - 5- तलवाना पत्र सम्मन/नोटिस के साथ प्रस्तुत है!

प्रकरण में चुनौती पूर्ण आदेश
जिला कलक्टर, जि. तांडा द्वारा
विलानाग भूमि को चरगाह
विस्तार क्षेत्रों दिया गया है।

इस आदेश की प्रथम/द्वितीय
आधिवक्ता द्वारा नियम 14(4)
के तहत चुनौती प्रस्तुत की गई
है।

अतः जिला कलक्टर के सक्षम
आधिकार से जारी आदेश आदेश
को इस आयालय में इस नियमों
के तहत क्षेत्राधिकार एवं प्रावधानों
बिना पर सुना जाना विधि
अनुसार प्रतीत नहीं होता है।
पत्रावली अवलोकनाय एवं
इच्छित आदेशार्थ नोटिस प्रस्तुत है।

(Initials)

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय

OK. सुक्ति एवं 9/1/22
पत्रावली